(ग) जब तक लाइन का अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे (Final location survey) पूरा न हो जाय, तब तक अन्तिम रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस लाइन पर कौन से गांव और कस्बे पड़ेंगे ।

(घ) इस लाइन पर काम अगले वित्त-वर्ष १९५९-६० में शुरू होगा और काम इस ढंग पर किया जायेगा ताकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर जो खर्च हो, वह अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे, जमीन के अधिग्रहण (acquisition) और लाइन के कुछ हिस्से पर मिट्टी डालने और पुलों के पाये आदि बनाने तक सीमित रहे। इस समय लाइन के अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वे पर खर्च के अनुमान की जांच रेलवे बोर्ड में की जा रही है ।

Free Passes for Railway Staff

2458. **Shri Warior:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether free passes are issued to retired Railway Officers;

(b) if so, the total annual amount of the free passes from 1954-55 to 1958-59; and

(c) the expenditure incurred during the above period annually to provide free conveyance to the staff, their families and household effects on (i) transfer (ii) retirement; and (iii) homegoing on periodical leave?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes.

(b) and (c). Information is not readily available. Railways do not maintain an account of the cost of passes issued whether on privilege account or on transfer or retirement. Eleven lakhs railway employees are due passes which are available to various destinations and include families. The labour involved will be considerable and even then the total cost cannot be worked out to any reasonable degree of accuracy as—

(1) all the persons included on the pass may not have travelled;

(2) the journey may have been terminated short of destination shown on the pass;

(3) on many occasions the journeys may not have even been performed.

कर्मचारियों की पदोन्नति

२४५९. श्री प्र० ना० सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसचिवीय पदावलि के कर्मचारियों को गैर-अनुसचिवीय पदावलि में पदोन्नति देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). जो मिनिस्टीरियल रेल कर्मचारी १-४-१९३८ के पहले से नौकरी कर रहा है, यदि वह कार्यकुशल बना रहे और डाक्टरी परीक्षा में पास होता रहे, तो साधारणतः वह ६० साल की उमर तक नौकरी में रखा जा सकता है । इस तरह का मिनिस्टीरियल रेल-कर्मचारी तरक्की के सामान्य मार्ग में जब नान-मिनिस्टीरियल पद (जिसके रिटायर होने की उमर ५५ साल है) पर तरक्की पाने का हकदार होता है, तो उसे उसी सूरत में तरक्की दी जाती है जब वह इस बात की लिखित रजामन्दी दे दे कि ५५ साल की उमर पूरी कर लेने के बाद नौकरी में बने रहने के लिए उसे अपने मिनिस्टीरियल पद पर वापस नहीं आने दिया जायेगा ।

इसके अलावा कोई दूसरा प्रतिबन्ध नहीं है ।